आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(10)(1)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2020–21/ 70 दिनांक : 09/06/21

समस्त प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय,

राजस्थान ।

विषय :– देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना वर्ष 2019–20 के लिए स्कूटी हेतु आवेदन करने वाली छात्राओं की स्थाई वरीयता सूची।

संदर्भ :– विभाग द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति क्रमांक–504 दिनांक–16.10.2019 एवं 869 दिनांक–20.01.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित विज्ञप्तियों द्वारा वर्ष 2019–20 हेतु देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना में स्कूटी हेतु ऑनलाईन छात्रवृति आवेदन आमन्त्रित किये गये थे। विभाग को महाविद्यालयों/जिला नोडल अधिकारियों की अनुशंषा से FORWARD होकर आयुक्तालय को आवेदन पत्र प्राप्त हुए तदुपरान्त पत्रांक–1352 दिनांक–22.06.2020 से अस्थाई वरीयता सूची जारी कर दिनांक–30.06.2020 तक आपत्तियां मांगी गई थी। छात्राओं/महाविद्यालय/ जिला नोडल अधिकारी स्तर पर कुछ आवेदन–पत्र लम्बित होने से आयुक्तालय के पत्रांक–1328 दिनांक–13.07.2020 से आवेदन–पत्र आयुक्तालय में मंगवाने बाबत दिनांक–13.07.2020 से 28.07.2020 तक पुनः पोर्टल खोला गया जिससें कुछ छात्राऐं सम्मिलित हुई उसके बाद पत्रांक–1505 दिनांक–24.08.2020 से पुनः अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दिनांक–09.09.2020 तक आपत्तियां मांगी गई थी। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण पश्चात् पत्रांक एफ 23(16) लेखा/आकाशि/छा./स्कू./योजना/ऑनलाइन/2020–21/1901/दिनांक 12.10.2020 द्वारा वर्ष 2019–20 के आवेदन पत्रों की स्थाई वरीयता सूची जारी की गई। **जिसका अवलोकन विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/ पर करावें।**

मैसर्स टीवीएस मोटर कम्पनी लिमिटेड को ओदश क्रमांक एफ 23(10) लेखा/आकाशि/स्कूटी क्रय/2020–21/2471 दिनांक 04.03.2021 से उक्त योजना का क्रय आदेश जारी किया है। कम्पनी द्वारा प्रत्येक स्कूटी का बीमा (एक वर्ष का काम्प्रहेनसिव पॉच वर्ष का थर्ड पार्टी इश्योरेंस) और प्रथम पंजीयन में सभी प्रकार का सरकारी शुल्क और करो को चुकता करने एवं प्रथम पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कर सम्बन्धित प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारियों महाविद्यालयों को प्रथम पंजीयन प्रमाण–पत्र मय स्कूटी के 120 दिवस में सुपुर्द की जानी हेतु निर्देशित किया गया है। तत्पश्चात् संबंधित प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी स्कूटी मय प्रथम पंजीयन का स्टॉक प्रविष्टि कर संबंधित छात्रा के नाम पंजीयन हस्तान्तरण कराकर अतिशीघ्र वितरण की कार्यवाही करें।

स्कूटी वितरण उपरान्त संलग्न परिशिष्ट संख्या अ,ब,स,द में सूचना विभागीय वेबसाईट sch.cce@rajasthan.gov.in पर प्रेषण करावें।

छात्रा द्वारा माता–पिता/अभिभावक की आय, केन्द्रीय कर्मचारी/राज्य कर्मचारी/राजकीय उपक्रम/निगम बोर्ड कर्मचारी/वित्तपोषित संस्था का कर्मचारी जिनके द्वारा फॉर्म नम्बर 16 या आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई, राजस्थान की मूल निवासी नहीं होना, दोहरी छात्रवृति प्राप्त करना अन्य कोई आवेदन पत्र में असत्य जानकारी अंकित कर स्कूटी प्राप्त की जाती है तथा स्कूटी स्वीकृति पश्चात् स्वीकृतकर्ता अधिकारी को किसी भी माध्यम से ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो सम्बन्धित छात्रा/अभिभावक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।.

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार।

09/06/2021

(संदेश नायक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(10)(1)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2020–21/ 71 दिनांक : 09/06/21

प्रभारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(एच.आर.पवार)
वित्तीय सलाहकार

प्रपत्र–अ

स्वीकृत स्कूटी संबंधी विवरण

क्रमांक	स्कूटी स्वीकृति आदेश / दिनांक	सूची क्रमांक	छात्रा का नाम / पिता का नाम	कक्षा	चेसिस नम्बर	इंजन नम्बर	आंवटित नम्बर	स्टॉक पंजिका क्रमांक	वितरित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र– ब

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय ....

क्रमांक :

दिनांक

:

प्राचार्य द्वारा स्कूटी डीलर को दी जाने वाली रसीद

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्वीकृति आदेश कमांक .... दिनांक..................... से स्वीकृत स्कूटियों की वरीयता सूची में कम संख्या .... पर महाविद्यालय की अंकित कुल .... छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत की गई है जिनके लिए टी.वी.एस. मोटर कम्पनी लिमिटेड .... (स्थान / जिला) के डीलर से कुल...........टी.वी.एस. स्कूटी पेप + गिनकर, सही स्थिति में आज दिनांक .... को प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर प्राचार्य मय सील

क्रमांक :–

प्रतिलिपि

दिनांक

1– आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राज. जयपुर को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है ।

हस्ताक्षर प्राचार्य मय सील

प्रपत्र–स

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय ....

छात्रा द्वारा स्कूटी प्राप्ति रसीद

मैं .... पुत्री ....कक्षा ....संकाय .... में नियमित अध्ययनरत हूँ । आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर के स्वीकृत आदेश क्रमांक .... दिनांक .... की वरीयता सूची में क्रम संख्या .... के अनुसार वर्ष ....के लिए मुझे स्कूटी स्वीकृत की गई है। मैंने प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, ... से मुझे स्वीकृत टी.वी.एस. स्कूटी पेप + आज दिनांक .... को प्राप्त कर ली है जिसके इंजन नम्बर .... चैसिस नं0 .... तथा आवंटित नम्बर .... है।

मेरे समक्ष छात्रा को स्कूटी
सुपुर्द कर दी है ।

हस्ताक्षर छात्रा
दिनांक
कक्षा संकाय
(नाम, पिता का नाम)

हस्ताक्षर माता/पिता/अभिभावक
पता..
....

छात्रा...पुत्री..कक्षा..........................संकाय .. .. को आयुक्तालय के स्वीकृति आदेश क्रमांक ....दिनांक.................. के संलग्न सूची के वरीयता क्रमांक .... के अनुसार टी.वी.एस. स्कूटी पेप + छात्रा के पिता/माता/अभिभावक के समक्ष आज दिनांक .... को सुपुर्द कर दी है ।

हस्ताक्षर प्राचार्य मय सील

दिनांक :

प्रपत्र—द

कार्यालय राजकीय महाविद्यालय ....

पुर्नभरण व्यय हेतु विवरण

क0स0	आयुक्तालय के स्वीकृति आदेश कमांक व दिनांक	स्वीकृति आदेश के वरीयता कमांक	छात्रा का नाम/पिता का नाम	कक्षा	स्कूटी प्राप्ति तिथि	स्कूटी वितरण तिथि	संबंधित सलग्न पत्रादि 1 आर.सी. 2 स्थानान्तरण पत्र 3 बीमा पत्र 4 भुगतान रसीद 5 अन्य

हस्ताक्षर प्राचार्य मय सील

दिनांक :